न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 218/2018

1. धर्मचंद पुत्र श्री नोरंग जाति महाजन निवासी कलाना त0 भादरा —वादी

बनाम

1. किशनकुमार पुत्र श्री नोरंग जाति महाजन निवासी कलाना त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. उप पंजीयक भादरा तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन एवं स्थाई निषेध
अन्तर्गत धारा 53 व188 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी
वकील श्री पवन सिहाग : प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक : 23.08.23**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 181/188 के खसरा सं0 119 की 5.781है0 एवं खसरा सं0 43 की 4.0730है0कुल 9.8540है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था जिस पर वादभूमि के अलग अलग खेत बने हुए है तथा पक्षकारान ने अपने अपने हिस्सा की भूमि को उपजाउ व समतल आदि भी करवाया है। परन्तु वादभूमि रिकार्ड माल में मुश्तर्का खातेदारी होने के चलते माल लगान आदि को लेकर आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता तकशीम करवाने एवं अपने विभाजित हिस्सा तक आवागमन के लिए रास्ता आदि का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 जरिये वकील हाजिर आए। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा कलाना के खाता सं0 181/188 के खसरा सं0 119 की 5.781है0 एवं खसरा सं0 43 की 4.0730है0कुल 9.8540है0 बारानी वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./18/435 दिनांक 28.07.2023 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मोजा कलाना का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:—

Scanned with CamScanner

विभाजन : रोही मौजा कलाना

किशनकुमार पुत्र नोरंग जाति महाजन सा. देह खातेदार :– रोही मौजा कलाना के खसरा सं0 119की 2.150है0, खसरा सं0 119/1 की 2.492है0, खसरा सं0 43 की 0.285है0 कुल किता 3 की कुल रकबा 4.927है0 ।

धर्मचन्द पुत्र नोरंग जाति महाजन सा. देह खातेदार :– रोही मौजा कलाना के खसरा सं0 119 की 1.139है0, 43/1 की 0.051है0, खसरा सं0 43 की 3.737है0 कुल किता 3 की 4.927है0 बारानी

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन विभाजित हिस्सा पर शिफ्ट कर यथावत रखा जावे। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.08.23....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner